कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
–: कार्यालय आदेश :–

दिनांक : 15.05.2025

क्रमांक : 2025 / 540

मैं नुकेश भगोरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) एवं तद् हेतु प्राधिकृत करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता हूँ कि बालोतरा न्यायक्षेत्र में **मई, 2025** के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बाड़मेर व बालोतरा मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के, यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा / न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु–समीक्षा जॉच एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य, उन तिथियों के समक्ष अंकित अधिकारी वर्णित राजकीय अवकाशों की तिथियों को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर उक्त कार्य को उक्त अध्योअंकित अधिकारी अपने निवास स्थान पर नियमानुसार सम्पादित करेंगे :–

बालोतरा मुख्यालय :–

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1.	18.05.2025	श्रीमती सुनिता जिन्दोलिया अंतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 बालोतरा
2.	24.05.2025	श्री रामचन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा
3.	25.05.2025	श्रीमती सोनल ललवाणी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
4.	29.05.2025	श्री दिग्विजय देथा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना

बाड़मेर मुख्यालय :–

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
1.	18.05.2025	सुश्री वैदानी सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर
2.	24.05.2025	श्री अंकुर गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02 बाड़मेर
3.	25.05.2025	श्रीमती कृष्णा गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर
4.	29.05.2025	श्री विजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन

नोट :– साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हे उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतू अधिकृत नही किया गया हैं, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित / अर्द्धवैतनिक / रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।

-सही-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

दिनांक :– 15.05.2025

क्रमांक :– 1518 – 1538

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बालोतरा।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा / संख्या 02 बालोतरा / चौहटन
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर / संख्या 02 बाड़मेर
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा / सिवाना / चौहटन / सिणधरी / पचपदरा / शिव
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बाड़मेर / संख्या 02 बाड़मेर
6. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा
7. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर / बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नही कराया जावें।
8. आबकारी अधिकारी, बाड़मेर / बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक / प्रहराधिकारी / भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नहीं करावा जावें।
9. सहायक निदेशक, अभियोजन, बाड़मेर।
10. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बालोतरा, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. कन्ट्रोल रूम, बाड़मेर।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर